उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः— —/VIII-1/2020—06(श्रम)/2020
देहरादून, 25 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि, उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा—शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में संशोधन करने के लिए नियम का प्रारूप अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा—शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन यथा—अपेक्षित उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 817/VIII-1/2020—06(श्रम)/2020 दिनांक 28.08.2020 द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उसमें प्रभावित होना संभाव्य है, से तीस दिनों की अवधि के अवसान होने से पहले, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और चूँकि, अधिसूचना की प्रतियां दिनांक 30.08.2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और चूँकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव अब, राज्यपाल अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा—शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा—शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा — शर्त)} (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा—शर्त)} (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगी।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

नियम 14 का संशोधन

2. उ0प्र0 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा—शर्त) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ—2 मे दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) आवेदन प्रारूप 9 मे तीन प्रतियों में होगा तथा लाइसेंस समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले दिया जायेगा और यदि आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो लाइसेंस को नवीनीकृत लाइसेंस जारी होने की ऐसी तिथि तक नवीनीकृत समझा जायेगा।	(2) प्रत्येक—ठेकेदार श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर लाइसेंस अवधि, समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीस दिन पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ नवीनीकरण आवेदन उपलब्ध ऑनलाइन प्रारूप में अपलोड करेगा और आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो लाइसेंस एक वर्ष के लिए नवीनीकृत समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(डा0 हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

Scanned with CamScanner
SCAN AnyScanner

संख्याः– V2C/VIII-1/2020–06(श्रम)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर/उप/सहायक, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को आगामी गजट में प्रकाशित कर प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को इस आशय से प्रेषित की अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

AnyScanner